सुझाव –

सभी बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें कम से कम अच्छी माध्यमिक स्तर की योग्यता रखने वाले शिक्षक पढ़ाएं। इसलिए, सरकारों को अच्छे शिक्षक उम्मीदवारों के दायरे को बढ़ाकर उत्तर माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निवेश करना चाहिए। यह सुधार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा यदि बेहतर शिक्षित महिला अध्यापकों के पूल को उपेक्षित क्षेत्रों में बढ़ाया जाए। कुछ देशों में इसका अर्थ है कि शिक्षण में और अधिक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक उपाय लागू करने होंगे।

नीति निर्माताओं को अपना ध्यान अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों से लेने पर ध्यान देने और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है, जैसे सजातीय अल्पसंखयक, जो अपने समुदायों में सेवा कर सकें। ऐसे शिक्षक सांस्कृतिक संदर्भ और स्थानीय भाषा से परिचित होते हैं और उपेक्षित बच्चों के शिक्षा अवसरों में सुधार कर सकते हैं।

सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे सभी बच्चों की शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। शिक्षकों को कक्षाओं में जाने से पहले उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए जो पढ़ाए जाने वाले विषयों के ज्ञान तथा शिक्षण पद्धतियों के बीच ज्ञान के बीच संतुलन पैदा कर सकें। सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत पर्याप्त कक्षा शिक्षण अनुभव को प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि वे योग्य

शिक्षक बन सकें। इसे शिक्षकों को व्यावहारिक कौशल प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ना सिखाया जा सके और वे बुनियादी गणित को समझ सकें। सजातीय रूप में विविध समाजों को एक से अधिक भाषा में पढ़ना सिखाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को भी ऐसा शिक्षक तैयार करने चाहिए जो अनेक कक्षा और वर्गों को एक ही कक्षा में पढ़ा सकें और यह समझ सकें कि जेंडर भिन्नता के लिए शिक्षक का व्यवहार कैसे शिक्षा के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। प्रत्येक शिक्षक के लिए शिक्षण कौशल को विकसित और सुदृढ़ करने हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। यह शिक्षकों को कमजोर छात्रों, विशेषकर शुरुआती कक्षा में छात्रों को नए विचार उपलब्ध करा सकता है, और शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है। अभिनव दृ ष्टिकोण जैसे दूरस्थ शिक्षक शिक्षा, तथा साथ ही प्रशिक्षण और परामर्श को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि सेवा–पूर्व और सेवाकालीन विषय शिक्षा, दोनों को बड़ी संख्या में शिक्षकों को दिलाया जा सके।

यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सभी बच्चों कीशिक्षा में सुधार करने के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जाए।यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकोंको वास्तविक कक्षा शिक्षण चुनौतियों का ज्ञान एवं अनुभव होतथा उनसे कैसे निपटा जाए। इसलिए नीति–निर्माताओं को ऐसे शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना सुनिचित करना चाहिए जिन्हें कक्षा शिक्षण आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुभव हो औरजो कठिन परिस्थितियों में पढ़ाने से जूझ रहे हैं।नए योग्यता प्राप्त शिक्षकों को शिक्षण ज्ञान को कार्यकलापों में परिणत करने

में समर्थ बनाना, जिससे सभी बच्चों की शिक्षा मेंसुधार हो। नीति निर्माताओं को प्रशिक्षित प्रशिक्षक उपलब्ध करानेचाहिए ताकि वे इस बदलाव के अनुरूप बन सकें।

शिक्षकों हेतु सुझाव :–

- विद्यार्थियों को अधिकाधिक ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे वे परम्परागत चिन्तन से हटकर नये वातावरण में भाग ले सकें और अपनी बुद्धि का विकास कर सकें।
- विद्यार्थियों की समस्याओं का समुचित ढ़ंग से समाधान करना चाहिए।
- शिक्षक समूह का नेतृत्व कर सके एवं माता–पिता के विकल्प के रूप में भूमिका निभा सकें।
- शिक्षकों को कमजोर एवं कम बुद्धि वाली छात्राओं को विशेष कक्षाएँ लगाकर समालोचना भी करनी चाहिए।
- अपने अध्यापन में शिक्षकों को प्रोजेक्ट विधि एवं समस्या विधि का उपयोग करना चाहिए ताकि छात्राएँ क्रिया शील रहकर ज्ञानार्जन कर सकें।
- विद्यालय में स्वस्थ वातावरण का संचार करना चाहिए जिससे छात्राओं की जीवन संतुष्टि एवं उनकी आध्यात्मिक, सामाजिक तथा सांवेगिक बुद्धि में गुणवत्ता आ सके।
- विद्यार्थियों द्वारा अर्जित उपलब्धियों के प्रति सकारात्मक –दृष्टिकोण अपनाते हुए समय–समय पर पुरस्कार के माध्यम से पुनर्बलित किया जाना चाहिए,

क्योंकि पुरस्कार अभिप्रेरणा का स्रोत है जो कि छात्राओं को उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अभिप्रेरित करता है।

भावी शोधकार्य हेतु सुझाव :–

- शोध कर्त्री ने प्रस्तुत शोध में जनजातीय एवं गैर जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थिय को न्यायदर्श के रूप में लिया है। भावी षोधकर्ता महाविद्यालयी विद्यार्थियों को भी न्यादर्ष के रूप में ले सकते हैं।
- भावी शोधकर्ता उक्त समस्या के संदर्भ में सरकारी एवं गैर–सरकारी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अपने अध्ययन का आधार बना सकते हैं।
- भावी शोधकर्ता सरकारी एवं गैर–सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उक्त अध्ययन हेतु चयनित कर सकते हैं।
- इस शोधकार्य हेतु न्यायदर्श 480 लिया गया है। भावी शोधकर्ता इससे बड़ा न्यायदर्श लेकर शोधकार्य कर सकते हैं।
- भावी शोधकर्ता धर्म एवं भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत कर अपना शोध कार्य कर सकता है।
- इस शोध में केवल सिरोही जिले को सम्मिलित किया गया है। भावी शोधकर्ता इसे अन्य संभागों, राज्य स्तर एवं राष्ट्र स्तर पर भी कर सकता है।
- इस शोध में केवल शैक्षिक स्थिति एवं शैक्षिक समस्याओं को सम्मिलित किया गया है। भावी शोधकर्ता अन्य चर सम्मिलित कर सकता है।